(II)

In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation Bill, 2003, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11"' March, 2003.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.

(III)

In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2003, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the n^{m} March, 2003.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.

Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table.

THE BUDGET (GENERAL), 2003-04 -- CONTD.

श्री दीनानाथ मिश्र (**उत्तर प्रदेश**):सभापति जी, मैंने कल कहा था कि बजट चर्चा में भाग लेते हुए मैं सिर्फ़ गरीबी और बेरोजगारी,इन दो विषयों तक अपने को सीमित रखूंगा। राजकोषीय घाटे या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बढ़ोतरी की दर या वित्तीय प्रबंधन....

श्री सभापति: एक मिनट.... जिन माननीय सदस्यों के स्पेशल मेंशन हैं, वे हाउस में नहीं लिए जा सकेगे। मेंरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वे स्पेशल मेंशन अपने नाम सहित और सब्जेक्ट मैटर देकर हाउस की टेबल पर रख दे...(**व्यवधान**)... कल तक कर दीजिए, हाउस एडजॉर्न हो, उससे पहले कर दीजिएगा। ठीक है, now let him speak.

श्री दीनानाथ मिश्र: सभापति जी, मैंने कहा कि मैं राजकोषीय घाटे या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बढ़ोतरी की दर अथवा वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर अपनी बात नहीं कहूंगा। मैं केवल दो **विषयो** पर, गरीबी और बेरोजगारी, इन दो सम्स्याओं पर, जो देश की सबसे बडी विकट समस्या है,सबसे भयानक समस्या है, सबसे बडी प्राथमिकता होनी चाहिए, इन विषयों पर ही प्रकाश डालूंगा। अपने वित्त मंत्री...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : सर, उनकी बात कोई सुन भी रहा है? कोई कैबिनेट मिनिस्टर है? Sir, there is no Cabinet Minister sitting in the House. The hon. Finance Minister should have been here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI O. RAJAGOPAL) : Sir, I am taking down the notes.

श्री दीपांकर मुखर्जी: हम फ़ाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहें हैं।

MR. CHAIRMAN: No. The Minister should have been *here...(Interruptions)...* His objection is very correct..*(Interruptions)... ठीक है, बुलवा रहा हूं मैं। यह काम भी आपको करना पडेगा।*

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, यह ट्रेड बहुत खराब है।

श्री सभापति: वह ठीक है। I agree with you.

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, यह पहली बार नहीं है। रेलवे बजट के पहले दिन रेलवे के केबिनेट मिनिस्टर नहीं थे। आपको मालूम ही है कि सोमवार को डिबेट के समय सब लोग चले गए। because the concerned Minister was not there...*(Interruptions)...* The Upper House is not being given the respect. It is not being taken seriously.

श्री सभापति: यह ध्यान रखिए कि मैम्बर्स को ऑब्जेक्शन करने का मौका न मिले। गवर्नमेंट का कोई न कोई रिप्रेजेन्टेटिव यहां होना चाहिए।

(**उपसभापति पीठासीन हुईं**)

श्री दीनानाथ मिश्र: उपसभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी दूर करने और रोजगार मुहैया कराने को प्राथमिकता दी है। उनके बजट भाषण का यह सबसे पहला बिन्दु है। लेकिन गरीबी या बेरोजगारी , कितनी भयानक समस्या है, कैसी विकट स्थिति है। इस आंकड़े से यह समझ में नहीं आता कि 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। दसवीं योजना के बेरोजगारों की संख्या का जो आकलन करीब चार-पांच करोड़ है, यह भी समझ में नही आता। पांच-सात ऎसे गांव हैं जिनके जीवन से मेंरा संबंध है। हम जब वहां पर जाते हैं तो समझ में आता है कि गरीबी क्या होती है? बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी से त्रस्त लोग, रोजगार भीख की तरह मांग़ते हैं, बेचैनी से मांगते हैं, तड़पते हुए मांगते हैं, गिड़ग़िड़ाते हुए मांगते हैं। अपमान और जिल्लतभरी जिंदगी बेरोजगारी की होती है, इनकी यह जिदंगी घर में भी होती है, समाज में भी होती है, व्यक्तिगत भी होती है। अगर गरीबी और बेरोजगारी जुड़ जाए तो वह दरिद्रता, कंगाली और क्या-क्या कहा जाए? वह बीमारी का घर होती है। वह पीढी दर पीढी चलने वाली, अशिक्षा का घर होती है? बहुत दर्दनाक स्थिति होती है।इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि पहले के मुकाबले कुछ अथिक ध्यान इस विषय पर दिया जाने लगा है। मैं मानता हूँ कि पिछली शताब्दी सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरी की शताब्दी थी। जब से मुझे होश है, तब से मैं यह देखता आया हूँ

कि लोगों की आकांक्षा यह रही कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी पा जाएं। किसी न किसी सरकारी नौकरी की कोशिश करते हुए ही वे पढते रहे। लोग पढ़ाते रहे और परिवार के लोग उनको आगे बढ़ाते रहे। सरकारी नौकरी की अदम्य आकांक्षा और शुरु के वर्षों में जब समाजवाद का जोर रहा तब सरकार का आकार भी बढता रहा, नौक़रियां भी बढती रहीं, लेकिन 80 का दशक आते-आते,नौकरियों की मारा-मारी ज्यादा बढ गई। हमने देखा कि सरकारी नौकरियां उस तरह से नहीं बढ रही है जिस तरह से पहले बढती रही थी। हमने देखा कि नौकरी नहीं हैं, नौकरी की संभावना नहीं है, नौकरी पर जाम लगने लगा है, सरकार का आकार घट रहा है। इसके बावजूद आरक्षण के सवाल पर पूरी राजनैतिक लड़ाई हुई, "न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम-लट्ठा" नौकरियां हो नहीं सकतीं, नौकरियां थी ही नहीं। आज कोई सरकार, सरकारी नौकरी देकर बेरोजगारी को हल करने की स्थिति में नहीं हो सकती क्योंकि जाम लगा है। नौकरियों पर पाबंदी सी लगी हुई है, क्योंकि सरकार में नौकरियां उपलब्ध हैं नहीं। ऐसी हालत में इस शताब्दी में,इस शताब्दी को स्वरोजगार की शताब्दी होना होगा। पिछ्ले शताब्दी की मानसिकता कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, इससे उबरना होगा। वरना हालत और बिगड़ती जाएगी। मुझे प्रसन्नता है कि स्वरोजगार के लिए अनुकूल अवस्थाएं प्रदान करने के लिए इस बजट में अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा किया गया है। अगर दसवीं योजना के प्रारुप के प्रथम भाग को देखा जाए तो लगता है कि रोजगार की रणनीति बदल रही है। रोजगार की अनुकूलताएं प्रदान करने के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं। मैं मानता हूँ कि ये परिवर्तन दसवीं योजना के प्रारुप में दर्ज हैं कि जिस क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाएं अधिक हों ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जसवन्त सिंह जी के बजट में इस बात पर जोर दिया गया है। कई सेक्टर्स हैं जिन्हे गिनाया जा सकता है। टैक्सटाइल, टूरिज्म, हैल्थ केयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आई.टी.सैक्टर, हॉर्टिकल्चर, कुटीर उद्योग, कृषि, कृषि से संबंधित उद्योग, फ़ार्मा, कम्युनिकेशन ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो अपेक्षाकृत अधिक रोजगार पैदा करते हैं और इन पर जोर दिया गया है। इन नीतिगत परिवर्तनों से रोजगार बढ सकते हैं। जो रोजगार करना चाहे उसके लिए अनुकूल वातावरण प्रोत्साहन, स्वरोजगार का एक एटमोस्फ़ियर बन सकता है। मैं अपने निजी अनुभव के दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा। गुजरात से राज्य सभा के एक सदस्य ने पिछले साल मुझे एक घटना बताई। वह घटना यह थी कि एक गांव में चालीस वर्ष का एक व्यक्ति किसी बीमारी से मर गया। पीछे विधवा और दो बच्चे बचे। लोग उस परिवार को भूल गए। समय आने पर, दो-चार महीने गुजर जाने पर, ऐसा होता ही है, अचानक लोगों ने सुना कि उस महिला ने बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन वह आत्महत्या करने में, बच्चों को साथ लेकर मरने में सफ़ल नहीं हुई। तब गांव के लोगों का ध्यान गया कि इसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब उन्होंने चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसे एक भैंस ले दी। वह भैंस की सेवा करने लगी। दस एक किलो दूध आने लगा। भैंस का चारा, घर का खर्च उठाने के बाद भी पचास एक रुपया रोज बचने लगा। वह नियमित रुप से बचाने लगी, बैंक में जमा कराने लगी। बैंक वालों को मालूम पडा कि नियमित बचत हो रही है तो बैंक वालों ने छह महीने बाद उसे सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो कि बैंक से कर्ज ले लो और दो जानवर और ले लो। उसने दो जानवर और ले लिए। एक लड़का रख लिया और फ़िर तीन भैंसों से उनकी आमदनी तीन गुनी बढ़ गई। ढ़ाई एक वर्ष के अंदर कई दर्जन जानवर और कई दर्जन रोजगार उसने अपने से पैदा किए। जो महिला निराशोन्मत्त होकर बेरोजगारी और भुखमरी के कारण आत्महत्या करने चली थी उसने अपना रोजगार पैदा किया। उसको थोडी सहूलियत मिली। बैंक से मिली, गांव वालों से मिली।

उसने अपना रोजगार पैदा कर लिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के अस्सी प्रतिशत गांवों में पशुपालन की ऐसी ही संभावनाएं हैं। अगर इस तरह का एक माहौल बने, गुजरात जैसा बनाया जाए तो अच्छा होगा। कुछ अन्य राज्यों में इस तरह का है कि पशुपालन से वे अपनी पूरक आमदनी पैदा करते हैं। इससे स्वरोजगार पैदा होता है। इसमें सरकार की भूमिका स्वरोजगार देने की नहीं है बल्कि एक माहौल और एक सुविधाजनक स्थिति पैदा करने की है। इस जमाने में, इस दौर में सरकारी नौकरी हर किसी के लिए संभव नहीं हैं, यह हम सब जानते हैं। इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसमें डिग्रियां तो दी जाती हैं लेकिन रोजगार, प्रोफ़ेशन या कोई काम धंधा करने की स्थिति पढने के बाद भी नहीं होती। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। जोधपुर में एक गिरदेकोट घंटाघर नाम की जगह है। वहां कुछ वर्ष पहले शहर भर के कबाडी इकट्ठे होते थे। जो इकट्ठा होता था उसे वहां रखते थे। एक व्यापारी ने देखा कि विदेशी लोग कबाड़ में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। भीड़ होती थी, दस –पांच गोरी चमडी वाले लोग इकट्ठे होते थे। व्यापारी ने देखा, बहुत गौर से जांच की, उन्हें परखा तो देखा कि वे लोग कारीगरी की चीजें, टूटी-फ़ूटी चीजें, लकडी की, धातु की, हाथी दांत की, और बाकी सब इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें खरीद रहे हैं। उसने योजनापूर्वक जयपुर में एक इम्पोरियम खोला। जयपुर में ज्यादा पर्यटक आते हैं। धीरे-धीरे सक्रियता ऐसी बढी कि जोधपुर में हस्तकला, हैंण्डीक्राफ़्ट के उद्योग को बढ़ावा मिला। सरकार की नीति भी रही और लोगों को भी रोजगार की जरुरत थी। इस तरह का एक क्रम चल पड़ा। यहां प्रगति मैदान में वे स्टाल लगाते हैं। कुछ ही वर्षों में केवल जोधपुर से हस्तकला की वस्तुओं का निर्यात छह सौ पचास करोड़ रुपए वार्षिक तक हो गया है। यह केवल हस्तशिल्प से है। इसमें कई हजार लोगों को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय निर्यात को भी बढ़ावा मिल रहा है। मैं यह कह रहा हूँ कि जो प्रोत्साहन वित्त मंत्री महोदय ने रोजगार सक्षम क्षेत्रों में दिया है उसका अनुकूल माहौल, अनुकूल असर स्वरोजगार पैदा करने में मिलेगा।

एक ऐसा क्षेत्र और है जिसे इस बजट में प्रोत्साहन दिया गया है। यह टैक्सटाइल उद्योग है। वस्त्र उद्योग की एक खास हैसियत है। एक तो यह सबसे ज्यादा रोजगार देता है और दूसरा निर्यात सक्षम है। इसमें निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। अभी भी पूरे निर्यात में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें उत्पाद शुल्क घटाया गया है। ग्यारह सूत्री पैकेज दिया है। इस वस्त्र उद्योग को ...(**व्यवधान**)... क्या मेंरा समय खत्म हो गया है।

उपसभापति: आपकी पार्टी के एक घण्टा इक्कीस मिनट हैं और अभी छह बोलने वाले हैं। मेंरे हिसाब से तेरह मिनट आने चाहिए। थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। आप जब चाहे उसको खत्म कर दीजिए।

श्री दीनानाथ मिश्र: ऐसा ही एक उद्योग पर्यटन का है। पर्यटन में भी बढ़ावा दिया गया है। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि होटल के एक कमरे के साथ यानी एक अतिथि के साथ चार रोजगार पैदा होते हैं। इसी तरह चिकित्सा सेवा में, हॉस्पिटल के लिए जो सुविधाएं दी हैं, उपस्कर या जीवन रक्षक दवाइयों के लिए जो इस तरह का प्रोत्साहन दिया है, इस क्षेत्र में भी हॉस्पिटल के एक बेड पर करीब छह लोग रोजगार पाते हैं। इसी तरह आई.टी. एंड कम्युनिकेशन का मिलाकर एक सर्वे हुआ, उस में बताया गया कि एक रोजगार के कारण 4 रोजगार पैदा होते हैं। यह सारे रोजगार के लिए प्रोत्साहन हैं और गरीबी उन्मूलन के लिए जो 10 बड़े कार्यक्रम हैं, महोदय, समय कम है इसलिए मैं सिर्फ़ संक्षेप में उस की परिगणना पढ

देता हूँ। पिछले साल स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में 32 लाख रोजगार पैदा हुए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 47 लाख टन अनाज जारी किया गया और उस से रोजगार पैदा हुए, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना,प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक स्वास्थ्य वगैरह के लिए 2800 करोड़ रुपए की यह योजना है। इसी तरह प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना 405 करोड़, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, पेयजल व सूखाग्रस्त वगैरह के लिए है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 60 हजार करोड़ की है और स्वर्णिम चुतुर्भुज योजना और कॉरीडोर्स वगैरह सब मिलाकर यह अदभुत योजना है और बहुत गति से चल रही है। इस तरह 11 कार्यक्रम हैं जो कि पावरटी एलिवेशन और रोजगार के सिलसिले में हैं।

महोदय, कल वित्त मंत्री महोदय ने यह दावा किया और यह दावा सच है कि हर साल एक करोड़ रोजगार पैदा हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 52 करोड़ "मैन डेज" इन कार्यक्रमों के तहत पैदा हुए हैं। बाकी अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स में जो रोजगार पैदा हुए, वे अलग हैं। महोदया, मैं सिर्फ़ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि तीन साल पहले पी.सी.ओज. की संख्या सिर्फ़ 3 लाख थी, आज 11 लाख पी.सी.ओज. हैं। हर पी.सी.ओ. के पास कम-से-कम दो अतिरिक्त लोग काम करने वाले होते हैं। फ़िर उस के साथ एक-दो काम और जुड़ जाते हैं। तो कम-से-कम 8X3=24 लाख लोगों के लिए ये रोजगार पैदा हुए हैं। अगर इन्हें वर्षों में बांट दें तो 7-8 लाख रोजगार बनते हैं जो कि अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में है। महोदय, रोजगार के अवसर बढ रहे हैं, लेकिन अभी भी जितने नए बेरोजगार पैदा होते हैं, उस के मुकाबले रोजगार उपलब्ध नही हैं,ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही मुझे दसवीं योजना को प्रारुप को पढकर लगा। फ़िर भी मैं मानता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने जो रोजगार के मामले में, गरीबी उन्मूलन के मामले में कहा है, वह सचमुच सराहनीय है।

महोदय, इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।

RE. AMENDMENT TO THE FIRST SCHEDULE TO CUSTOMS TARIFF ACT, 1975

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu & Kashmir) : Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order ?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Madam, since the hon. Finance Minister is present in the House, therefore, this is the proper time for me to raise the point of order. Madam, on *7* of this month, there was a Government Resolution, seeking to amend a section of the Customs Tariff Act, whereby, Customs Duty on so many goods imported from abroad, was sought to be increased, and the Resolution mentioned preferential treatment to certain areas. Madam, this is a very important Resolution, and I had raised a